राष्ट्रीय अनुवाद मिशन

भारतीय भाषा संस्थान

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

हुणसुर रोड, मानसगंगोत्री, मैसूरु– 570 006

एन.टी.एम. अध्येतावृत्ति की घोषणा

1. परिचय:

राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एन.टी.एम.) भारतीय भाषा संस्थान, अनुवाद पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का शीर्ष निकाय है । जिसका उद्देश्य देश में अनुवाद को एक उद्योग के रूप में स्थापित करना है। भाषाओं और इसके भाषा प्रयोक्ताओं के साथ छात्रों को सक्षम और सशक्त बनाने हेतु सरकार का यह प्रयास उच्चतर शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम है। कौशल विकास और डिजीटल प्रकाशन भी मिशन के आवश्यक अधिदेश हैं। अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत, एन.टी.एम.प्रतिवर्ष **दो (02) अध्येतावृत्ति** प्रदान करके अनुवाद-संबंधित अनुसंधान के प्रोत्साहित कर रहा है।

2. एन.टी.एम.अध्येतावृत्ति योजना के उद्देश्य:

एन.टी.एम.अध्येतावृत्ति का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में अनुवाद और उससे संबंधित विषयों में उन्नत अध्ययन एवं शोध करने का अवसर प्रदान करना हैः

भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों संस्थानों का विवरण निम्नवत हैः

i. यू.जी.सी अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) और 12(b) के अंतर्गत सम्मिलित विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय।
ii. यू.जी.सी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत ऐसे डीम्ड विश्वविद्यालय जो यू.जी.सी से सहायता अनुदान के पात्र हैं।
iii. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय।
iv. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

और इसका विशिष्ट उद्देश्य समसामयिक संदर्भ में **अनुवाद के सैद्धांतिक, अनुभवजन्य एवं तकनीकी पक्षों** पर कुशल अनुसंधान का निर्माण करना है।

3. एन.टी.एम.अध्येतावृत्ति योजना का क्षेत्र:

एन.टी.एम.अध्येतावृत्ति का उद्देश्य युवा शोधार्थियों को अनुवाद अध्ययन और उससे संबंधित विषयों में डॉक्टोरल शोध-कार्य करने में सक्षम बनाना है। अध्येता अपनी पसंद के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ शोध संस्थान में कार्य कर सकते हैं। एन.टी.एम.समस्या की संकल्पना में मौलिक सोच और वर्तमान संदर्भ में अनुवाद से संबंधित शोध-कार्य में नवाचार पद्धति के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। अनुवाद गुणवत्ता मूल्यांकन, मशीनी अनुवादोपरांत संपादन(एम.टी.पी.ई.) अनुवाद तुलना,

निर्वचन अध्ययन, ज्ञान पाठ्य का अनुवाद, अनुवादक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पर्याय/शब्दावली निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाले छात्रों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित करता है।

4. एन.टी.एम.अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता:

4.1 स्नातक में न्यूनतम 50% और स्नातकोत्तर में 55% अंक या अनुवाद अध्ययन/भाषा विज्ञान/भारतीय भाषा या संबंधित विषय में समकक्ष ग्रेड। एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5% अंकों की छूट दी जाएगी।

4.2 आवेदन की अंतिम तिथि को शोधार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट होगी।

4.3 जो अभ्यर्थी पहले ही किसी अन्य अध्येतावृत्ति का लाभ उठा चुके हैं/प्राप्त कर रहें हैं, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं। आवेदक को आवेदन के साथ यह प्रमाणित करना होगा कि उसने किसी अन्य अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं उठाया है या उठा रहा है।

4.4 भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रामाणिक छात्र जिन्होंने पीएच.डी. के लिए पंजीकरण कराया है या अपने पीएच.डी. की दिशा में काम कर रहे हैं आवेदन के पात्र हैं।

4.5 एन.टी.एम.अध्येतावृत्ति की अवधि अधिकतम तीन (03) वर्ष है।

4.6 एन.टी.एम. अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित अध्येतावृत्तियों की संख्या दो (02) है।

4.7 एन.टी.एम.अध्येतावृत्ति के लिए वित्तीय सहायता की राशि रु. 20,000/- प्रति माह और वार्षिक आकस्मिक अनुदान 20,000 रुपये है।

5. अन्य शर्तें:

5.1 अभ्यर्थी बेरोजगार होना चाहिए तथा अध्येतावृत्ति केवल अत्यंत योग्य अभ्यर्थियों को दी जाएगी।

5.2 एन.टी.एम.अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने यू.जी.सी द्वारा निर्धारित अवधि में प्री-डॉक्टोरल पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। अध्येतावृत्ति की अवधि यू.जी.सी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोर्स-वर्क पूरा होने और शोध विषय के पंजीकरण से मानी जाएगी।

5.3 अध्येता एक बार ही अध्येतावृत्ति का हकदार होगा।

5.4 एन.टी.एम.ध्येतावृत्ति स्वीकार करते समय, अध्येता को किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान/संस्था से कोई अन्य अध्येतावृत्ति नहीं लेनी है।

5.5 अध्येता को संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक आधार पर काम करना होगा। अपने शोध-निर्देशक के अनुमोदन तथा संस्थान को सूचित करके वे क्षेत्र कार्य/पुस्तकालय परामर्श पर जा सकते हैं। शेष अवधि में उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में काम करना होगा।

5.6 प्रत्येक माह के अंतिम दिन अपने शोध-निर्देशक के माध्यम से एन.टी.एम.को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

5.7 प्रत्येक अध्येता को वर्षिक आधार पर एक महीना एन.टी.एम.में उपस्थित रहने के लिए कहा जा सकता है और प्रकाशन संबंधी गतिविधियों से संबद्ध किया जा सकता है।

5.8 अभ्यर्थी द्वारा किए गए शोध-कार्य की आवधिक/समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यदि शोध में प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है तो अध्येतावृत्ति बंद कर दी जाएगी।

5.9 शोधार्थी को अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान शोध-कार्य से संबंधित अपने सभी शोध प्रकाशनों में सहायता प्रदान करने के लिए एन.टी.एम. के प्रति आभार व्यक्त करना होगा और इसकी एक प्रति एन.टी.एम.में जमा करनी होगी।

5.10 अभ्यर्थी को यदि अध्येतावृत्ति मिलती है तो उसे आवेदन के साथ पहले से नियत अपने शोध-निर्देशक का बायोडाटा जमा करना होगा। शोधार्थी को शोध-कार्य में आवश्यकतानुरूप सलाह देने का अधिकार एन.टी.एम. के पास सुरक्षित है। यदि शोधार्थी को एन.टी.एम. या भा.भा.सं. से सह-निर्देशक की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे निर्देशक तथा विश्वविद्यालय/संस्थान की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।

5.11 प्रारंभ में अध्येतावृत्ति एक वर्ष के लिए दी जाएगी जिसे शोध-कार्य में संतोषजनक प्रगति के उपरांत अगले एक या दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसे वर्ष के अंत में या डॉक्टरेट थीसिस जमा करने के दिन या जो भी पहले हो समाप्त कर दिया जाएगा।

5.12 अंतिम महीनों की अध्येतावृत्ति और अंतिम वर्ष की आकस्मिक अनुदान राशि अंतिम माह के प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही एन.टी.एम. द्वारा जारी की जाएगी।

5.13 एन.टी.एम. बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने या अध्येतावृत्ति वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दिशा-निर्देशों की व्याख्या या ऊपर छूट गए/अकथित किसी भी अन्य मुद्दे से संबंधित अंतिम अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है।

6. चयन प्रक्रिया:

चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा, जिसमें प्रस्तावों की प्रस्तुति भी शामिल है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को सबसे निकटस्ट मार्ग से AC III टियर ट्रेन के किराए का भुगतान किया जाएगा।

7. आरक्षण:

आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार लागू होगा।

8. अध्येतावृत्ति संवितरण:

एन.टी.एम.मासिक आधार पर पी.एफ.एम.एस/ऑनलाइन माध्यम से अध्येता के खाते में अध्येतावृत्ति अंतरित करेगा। इसके लिए प्रत्येक अध्येता को संस्थान में तिमाही आधार पर 'उपस्थिति और संतोषजनक प्रदर्शन का प्रमाण-पत्र' की रिपोर्ट एन.टी.एम. में जमा करनी होगी। दूसरी तिमाही से मासिक अध्येतावृत्ति का संवितरण उपरोक्त प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के उपरांत ही होगा। अध्येता द्वारा प्रति वर्ष किए गए वास्तविक व्यय का भुगतान अध्येता द्वारा हस्ताक्षरित तथा शोध-निर्देशक/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरांत ही अध्येता द्वारा जमा किए गए बिलों/ वाउचरों की जाँच के बाद ही वार्षिक आकस्मिक अनुदान से इसे अध्येता के खाते में अंतरित किया जाएगा। ।

9. कार्य की जाँच:

अध्येतावृत्ति शोधार्थियों को अपने शोध निर्देशकों/विभागाध्यक्षों और अनुसंधान सलाहकारों द्वारा विधिवत अग्रेषित मासिक प्रगति रिपोर्ट एन.टी.एम.को भेजनी होगी। विशेषज्ञों की एक समिति प्रगति

की समीक्षा करेगी। यदि शोध की प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में अध्येतावृत्ति समाप्त करने का अधिकार एन.टी.एम.के पास सुरक्षित है।

10. अवकाश के नियम:

अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान अवकाश के नियम संबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार लागू होंगे।

11. कार्य की प्रस्तुति:

अध्येता को अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान एक विस्तृत रिपोर्ट अपने शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष शोध सलाहकार द्वारा एन.टी.एम.को अग्रेषित करनी होगी। पीएच.डी. उपाधि मिलने के पश्चात थीसिस की एक प्रति प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एन.टी.एम.को जमा करनी होगी।

12. आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने के लिए कृपया भा.भा.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://apply.ciil.org/ पर 21 मई 2024 (मंगलवार) तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव की प्रतियों के अतिरिक्त आवेदन के साथ प्रस्तावित शोध विषय पर लगभग 2500-3000 शब्दों का सारांश होना चाहिए, जिसमें (ए) शोध का औचित्य और उद्देश्य, (बी) संरचनात्मक अवधारणा (सी) प्रस्तावित पद्धति, और (डी) शोध का संभावित योगदान सम्मिलित हो। ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल 21 मई 2024 (मंगलवार) तक खुला है।

इस घोषणा का अंग्रेजी संस्करण एन.टी.एम.की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निदेशक, भा.भा.सं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:
प्रभारी अधिकारी
राष्ट्रीय अनुवाद मिशन
भारतीय भाषा संस्थान,
हुणसुर रोड, मानसगंगोत्री,
मैसूरु– 570 006
कर्नाटक, भारत
फ़ोन: 0821-2345217
ईमेल: ntmadmn@gmail.com